



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH



स्टाम्प इयूटी	रुपये	1,27,800.00
पंचायत इयूटी	रुपये	25,560.00
उपकर इयूटी	रुपये	6,390.00
अतिरिक्त इयूटी	रुपये	00.00
<b>कुल स्टाम्पस</b>	<b>रुपये</b>	<b>1,59,750.00</b>

ग्राम पंचायत क्षेत्र ग्राम-कुमेडी, तहसील- सांवर ज़िला-इन्दौर के अन्तर्गत स्थित “बालाजी तुलसीयान इण्डस्ट्रीयल एस्टेट” का भूखण्ड क्रमांक 01 (एक) पैकी ‘दक्षिण-पश्चिम’ दिशा तरफ का भाग, जिसका विक्रय व्यवहार मूल्य रुपये 25,56,000/- (रुपये पच्चीस लाख उप्पन हजार मात्र)

### विक्रय-पत्र

यह विक्रय-पत्र लिख देने वाले विक्रेता-

श्री बंटी थावानी, PAN : AISPT4088M

पिता श्री सिरमल जी थावानी,

निवासी-295, यु.आई.टी. कॉलोनी. गरबा ग्राउण्ड के पास,

अजय नगर, अजमेर (राज.)

... विक्रेतापक्ष

(जिन्हें सदर विक्रय-पत्र में “विक्रेतापक्ष” शब्द से संबोधित किया गया है।)

इन्हों से यह विक्रय-पत्र लिखवा लेने वाले क्रेता-

श्री मुकेश लीलानी, PAN : ACRPL8265H

पिता स्व. श्री सोभराजमल जी लीलानी,


निवासी- 124, त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.)

... क्रेतापक्ष

(जिन्हें सदर विक्रय-पत्र में “क्रेतापक्ष” शब्द से संबोधित किया गया है।)

Bunty  
Goyal

Mukesh



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

-2:-

(विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष जिन्होंने इस संबोधन में विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष स्वयं तथा उन्होंने के समस्त वारिसान, वैध-प्रतिनिधि, वैधानिक उत्तराधिकारीण, हितबंध व्यक्ति, स्वत्वग्राही, प्रशासक, निष्पादक, मुख्यत्वार, कानूनी हस्तान्तरण प्राप्तकर्ता, अन्तरिती इत्यादि सभी का समावेश है ।)

विक्रेतापक्ष, क्रेतापक्ष के हित/हक में यह विक्रीय पत्र निम्नानुसार निष्पादित तथा सम्पादित कर देते हैं, ऐसा कि :-

(1) यह कि, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ग्राम-कुमेडी, तहसील-सांवर, ज़िला-इन्दौर के पटवारी हल्का नम्बर 19 (नया-38), के सर्वे क्रमांक 14/3, 96/1, 96/2, 98, 99/1, 99/2 एवं 99/3 की कुल रकमा 7.940 हेक्टेयर भूमि तुलसीयाना इण्ड बालाजी डेवलपर्स, (एक भागीदारी फर्म), पता-403, 'शगुन आर्केड', विजय नगर, इन्दौर के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर स्थित रही है, जिस पर उन्होंने के द्वारा समस्त आवश्यक शासकीय अनुमतियाँ प्राप्त करने के उपरान्त "बालाजी तुलसीयान इण्डस्ट्रीयल एस्टेट" नामक कॉलोनी विकसित की हुई है ।

कि निम्नानुसार इस पर उन्होंने आवश्यक अनुमति दिया है। इस पर उन्होंने अपनी जागह  
निम्नानुसार अपनी जागह पर जागह दिया है।

1000 181

प्रियंका, कॉलोनी एस्टेट

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 707779

-3-

(2) यह कि, उक्त भूमिस्वामी एवं विकासकर्ता-तुलसीयाना एण्ड बालाजी डेवलपर्स, (एक भागीदारी फर्म), पता-403, 'शगुन आर्केड', विजय नगर, इन्दौर तरफे अधिकृत भागीदारण-  
(1) श्री सुनील भाटिया पिता श्री राजकुमार जी भाटिया, निवासी-13/1, साऊथ तुकोगंज, इन्दौर (2) श्री महेश गर्ग पिता श्री मोहनलाल जी गर्ग, निवासी-86, अग्रवाल नगर, इन्दौर द्वारा सदर कॉलोनी "बालाजी तुलसीयान इण्डस्ट्रीयल एस्टेट" के भूखण्ड क्रमांक 01 (एक), जिसकी तल भूमि का योग क्षेत्रफल 20000 वर्गफिट अर्थात् 1858.73 वर्गमीटर होकर स्थित है, को सम्पूर्ण विक्रय मूल्य एवं विकास व्यय की राशि प्राप्त करने के उपरान्त श्रीमान उप-पंजीयक महोदय, सांवेर के समक्ष निष्पादित एवं पंजीबद्ध विक्रय-पत्र क्रमांक 1-अ/721/2011, दिनांक 08 जुलाई, 2011 के द्वारा तल भूमि के सम्पूर्ण मालिकाना हक सहित विक्रेतापक्ष को विधिवत रूप से विक्रय रीति से अन्तरित कर, उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूखण्ड का रिक्त तथा स्वतंत्र आधिपत्य उन्हें मौके पर चलकर सौंप दिया गया है। सदर सम्पूर्ण भूखण्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	:: सरकारी कांड़
पश्चिम में	:: कॉलोनी की सड़क
उत्तर में	:: भूखण्ड क्रमांक 02
दक्षिण में	:: कॉलोनी की सड़क

Balaji  
Tulsi

Mukesh

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

देश MADHYA PRADESH

E 707780

E 707780

:- 4 :-

(3) यह कि, उपरोक्त वर्णित अनुसार विक्रेतापक्ष को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के सदर सम्पूर्ण भूखण्ड क्रमांक 01 (एक), "बालाजी तुलसीयान इण्डस्ट्रीयल एस्टेट" को एक या एक से अधिक भागों में विक्रय तथा अन्तरण आदि करने का पूर्ण तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त होने से, उन्होंने उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूखण्ड पैकी 'दक्षिण-पश्चिम' दिशा तरफ के भाग को, जिसका स्पष्ट वर्णन एवं चतुर्सीमा निम्नानुसार है, को इस विक्रय-पत्र के द्वारा आप क्रेतापक्ष को कुल कीमत रुपये 25,56,000/- (अक्षरी रुपये पच्चीस लाख छप्पन हजार मात्र) में विक्रय कर दिया होकर, विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से निम्नानुसार रीति से प्राप्त की है :-

रुपये	7,50,000.00	(अक्षरी रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जी.पी.ओ. शाखा-इन्दौर के चेक क्रमांक 185707, दिनांक 06 अप्रैल, 2012 के द्वारा विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से साक्षियों के समक्ष विधिवत् रूप से प्राप्त किये हैं।
रुपये	16,00,000.00	(अक्षरी रुपये सोलह लाख मात्र) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जी.पी.ओ. शाखा-इन्दौर के चेक क्रमांक 185718, दिनांक 13 जुलाई, 2012 के द्वारा विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से साक्षियों के समक्ष विधिवत् रूप से प्राप्त किये हैं।
रुपये	2,06,000.00	(अक्षरी रुपये दो लाख छ: हजार मात्र) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जी.पी.ओ. शाखा-इन्दौर के चेक क्रमांक 185719, दिनांक 17 जुलाई, 2012 के द्वारा विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से साक्षियों के समक्ष विधिवत् रूप से प्राप्त किये हैं।
रुपये	25,56,000.00	(अक्षरी रुपये पच्चीस लाख छप्पन हजार मात्र) कुल प्राप्त किये।

भारतीय गेर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यम् व जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

-: 5 :-

K 321397

### बिक्रीत सम्पत्ति का स्पष्ट वर्णन

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ग्राम-कुमेड़ी, तहसील-सांवेर, ज़िला-इन्दौर के पटवारी हल्का नम्बर- 19 (नया-38) के विभिन्न सर्वे क्रमांकों की भूमि पर विकसित कालोनी “बालाजी तुलसीयान इण्डस्ट्रीयल एस्टेट” के भूखण्ड क्रमांक 01 (एक) पैकी ‘दक्षिण-पश्चिम’ दिशा तरफ का भाग, जिसकी तल भूमि की पूर्व-पश्चिम लम्बाई उत्तर दिशा की ओर 94 फीट 11 इंच, दक्षिण दिशा की ओर 94 फीट 4 इंच एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ाई पूर्व दिशा की ओर 52 फीट 2 इंच, पश्चिम दिशा की ओर 53 फीट 1 इंच के नाप की होकर, सदर भूखण्ड के इस भाग की तल भूमि का योग क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट अर्थात् 464.68 वर्गमीटर होकर स्थित है, जिसे सम्पूर्ण विक्रेतापक्ष इस विक्रय-पत्र के माध्यम से क्रेतापक्ष को विक्रय कर रहे हैं। (उक्त वर्णित भूखण्ड क्रमांक 01 (एक) पैकी ‘दक्षिण-पश्चिम’ दिशा तरफ के बिक्रीत भाग को सुविधा की दृष्टि से भूखण्ड क्रमांक ‘1-बी’ से चिह्नित किया गया है तथा जिसे इस विक्रय-पत्र में सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से “सदर सम्पत्ति” शब्द से संबोधित किया गया है।) बिक्रीत सदर सम्पत्ति को और अधिक स्पष्टता के लिये संलग्न नक्शे में “लाल रंग” की रेखा से रेखांकित कर दर्शाया गया है, नक्शा इस लेख का अभिन्न अंग माना जावेगा। बिक्रीत सदर सम्पत्ति के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था भूखण्ड के दक्षिण एवं पश्चिम में स्थित सड़क से है। बिक्रीत सदर सम्पत्ति की भूमि निजी स्वामित्व की होकर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग की होकर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

-: 6 :-

K 321398

बिक्रीत सम्पत्ति की चतु:सीमा

पूर्व में :: भू. क्रमांक 01 का भाग जिसे भूखण्ड क्रमांक 1-ए से चिन्हित किया गया है  
पश्चिम में :: कॉलोनी की सड़क

उत्तर में :: भू. क्रमांक 01 का भाग जिसे भूखण्ड क्रमांक 1-सी से चिन्हित किया गया है  
दक्षिण में :: कॉलोनी की सड़क

उपरोक्त विवरण तथा चतु:सीमा के मध्य के सदर सम्पूर्ण भूखण्ड क्रमांक 01 (एक), “बालाजी तुलसीयान इण्डस्ट्रीयल एस्टेट”, ग्राम-कुमेझी, तहसील-सांवेर, ज़िला-इन्दौर पैकी ‘दक्षिण-पश्चिम’ दिशा तरफ के भाग को आगे से पीछे तक तल जमीन के सम्पूर्ण मालिकाना हक सहित विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को कीमत रुपये 25,56,000/- (अक्षरी रुपये पच्चीस लाख छप्पन हजार मात्र) में विक्रय कर दिया होकर, उसका चुकता विक्रय मूल्य ऊपर लिखे अनुसार विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त कर लिया हैं, अब इस विक्रय व्यवहार बाबद कोई भी विक्रय मूल्य विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से लेना अवशेष रहा नहीं है। बिक्रीत सदर सम्पत्ति का रिक्त तथा स्वतंत्र आधिपत्य भी विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को साक्षियों के समक्ष मौके पर चलकर दे दिया है।

(4) यह कि, बिक्रीत सदर सम्पत्ति के स्वामित्व बाबद जो भी दस्तावेज विक्रेतापक्ष के आधिपत्य में थे, उन समस्त दस्तावेजों की फोटो कापीयां उन्होंने क्रेतापक्ष को प्रदान कर दी हैं।

*[Signature]* / *[Signature]*

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

-: 6 :-

K 321398

बिक्रीत सम्पत्ति की चतु:सीमा

पूर्व में :: भू. क्रमांक 01 का भाग जिसे भूखण्ड क्रमांक 1-ए से चिन्हित किया गया है  
पश्चिम में :: कॉलोनी की सड़क

उत्तर में :: भू. क्रमांक 01 का भाग जिसे भूखण्ड क्रमांक 1-सी से चिन्हित किया गया है  
दक्षिण में :: कॉलोनी की सड़क

उपरोक्त विवरण तथा चतु:सीमा के मध्य के सदर सम्पूर्ण भूखण्ड क्रमांक 01 (एक), “बालाजी तुलसीयान इण्डस्ट्रीयल एस्टेट”, ग्राम-कुमेझी, तहसील-सांवर, जिला-इन्दौर पैकी ‘दक्षिण-पश्चिम’ दिशा तरफ के भाग को आगे से पीछे तक तल जमीन के सम्पूर्ण मालिकाना हक सहित विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को कीमत रुपये 25,56,000/- (अक्षरी रुपये पच्चीस लाख छप्पन हजार मात्र) में विक्रय कर दिया होकर, उसका चुकता विक्रय मूल्य ऊपर लिखे अनुसार विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त कर लिया हैं, अब इस विक्रय व्यवहार बाबद कोई भी विक्रय मूल्य विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से लेना अवशेष रहा नहीं है। बिक्रीत सदर सम्पत्ति का रिक्त तथा स्वतंत्र आधिपत्य भी विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को साक्षियों के समक्ष मौके पर चलकर दे दिया है।

(4) यह कि, बिक्रीत सदर सम्पत्ति के स्वामित्व बाबद जो भी दस्तावेज विक्रेतापक्ष के आधिपत्य में थे, उन समस्त दस्तावेजों की फोटो कापीयां उन्होंने क्रेतापक्ष को प्रदान कर दी हैं।

*Brijendra* / *Mukesh*

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

Rs. 500

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश MADHYA PRADESH

-: 7 :-

K 321399

(5) यह कि, बिक्रीत सदर सम्पत्ति के स्वामित्व बाबद विक्रेतापक्ष को जो अधिकार प्राप्त है तथा विक्रेतापक्ष के हित में मूल भूमिस्वामी एवं विकासकर्ता कम्पनी द्वारा जो पंजीकृत विक्रय-पत्र क्रमांक 1-अ/721/2011, दिनांक 08 जुलाई, 2011 को निष्पादित किया गया है, उस विक्रय-पत्र में जो-जो शर्तें एवं बातें विक्रेतापक्ष पर लागू की हैं, उन समस्त शर्तों का पालन करने का एकमात्र दायित्व क्रेतापक्ष का रहेगा। यदि क्रेतापक्ष द्वारा उक्त शर्तों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन किया गया तो उस बाबद समस्त निराकरण का एकमात्र दायित्व क्रेतापक्ष का रहेगा। इसी प्रकार मूल भूमिस्वामी एवं विकासकर्ता कम्पनी द्वारा जो-जो सुविधाएँ उक्त पंजीकृत विक्रय-पत्र में वर्णित अनुसार विक्रेतापक्ष को प्रदान की गई हैं, उन समस्त सुविधाओं का उपयोग तथा उपभोग करने का अधिकार क्रेतापक्ष को प्राप्त रहेगा।

(6) यह कि, बिक्रीत सदर सम्पत्ति विक्रेतापक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर, विक्रेतापक्ष को, सदर सम्पत्ति आप क्रेतापक्ष को उन्हों से प्राप्त किए हुए प्रतिफल के फलस्वरूप विक्रय/अन्तरण आदि करने का एवं उक्त हस्तान्तरण बाबद आप क्रेतापक्ष के हित व हक में सदर विक्रय-पत्र निष्पादित करने का पूर्ण तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। बिक्रीत सदर सम्पत्ति में विक्रेतापक्ष को जो-जो भी हक, स्वत्व तथा अधिकार आदि प्राप्त थे, वे आज दिनांक से तथा इस विक्रय के फलस्वरूप समाप्त हो गये होकर, अब क्रेतापक्ष को प्राप्त हो गये हैं। अब आप क्रेतापक्ष बिक्रीत सदर सम्पत्ति का मालिक नाते, अपनी इच्छानुसार उपयोग, उपभोग, अन्तरण, हस्तान्तरण एवं निरस्तारण आदि करने के लिये पूर्ण तथा वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो गये हैं।

...8

भारतीय नौसेन्याधिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

- 8 :-

W 403880

(7) यह कि, विक्रेतापक्ष के इस विक्रय व्यवहार में उन्हों के अन्य किसी भी वारिस अथवा हकदार आदि को कोई तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद भी नहीं है, भविष्य में बिक्रीत सदर सम्पत्ति के स्वामित्व बाबद किसी ने, किसी भी प्रकार की, कोई आपत्ति या विवाद आदि पैदा किया अथवा विक्रेतापक्ष के इन विक्रय अधिकारों में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा दोष आदि पाया गया तो उसके निराकरण की सम्पूर्ण जवाबदारी विक्रेतापक्ष की ही रहेगी। आप क्रेतापक्ष को किसी भी प्रकार की हानि, नुकसानी या परेशानी विक्रेतापक्ष नहीं लगने देवेंगे तथा क्रेतापक्ष का चुकता हजार-खर्चा वे ही वहन करेंगे ।

(8) यह कि, विक्रेतापक्ष एतद् द्वारा यह घोषित एवं निश्चित करते हैं कि, बिक्रीत सदर सम्पत्ति को विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष के अलावा पूर्व में अन्य किसी को, किसी भी रीति से विक्रय, गिरवी, दान, बक्षीस, अन्तरण, हस्तान्तरण अथवा कर्ज के पेटे रेहन आदि किया हुआ नहीं है, तथा ना ही बिक्रीत सदर सम्पत्ति पर किसी बैंक, संस्था, व्यक्ति अथवा किसी न्यायालय आदि का ही कर, कर्ज, जमानत अथवा मेन्टेनेन्स आदि जैसा कोई चार्ज, भार या बोझा ही है और ना ही बिक्रीत सदर सम्पत्ति के स्वामित्व, स्वत्व एवं मालकी बाबद वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक, न्यायिक या अन्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद आदि ही लम्बित है । संक्षेप में बिक्रीत सदर सम्पत्ति समस्त प्रकार के ऋण, चार्ज, भार, बोझों से पूर्णतया मुक्त होकर, विक्रेतापक्ष द्वारा आप क्रेतापक्ष को विक्रय/अन्तरण की जाने योग्य शुद्ध सम्पत्ति है ।

मुक्त

मुक्त

...9

भारतीय ग्रन्थालय

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

य प्रदेश MADHYA PRADESH

-: 9 :-

W 403881

(9) यह कि, इस विक्रय के फलस्वरूप अब आप क्रेतापक्ष को यह पूर्ण तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गये हैं कि आप क्रेतापक्ष इस सम्पत्ति का मालिक नाते, अपनी इच्छानुसार उपयोग, उपभोग, अन्तरण, हस्तान्तरण एवं निस्तारण आदि करें, साथ ही ग्राम पंचायत-कुमेड़ी तथा अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय तथा विभागों में मालिक नाते से अपना नाम नामान्तरण करवाकर अंकित करवा लें। भविष्य में बिक्रीत सदर सम्पत्ति के नामान्तरण आदि बाबद जब-जब भी व जहाँ-जहाँ भी विक्रेतापक्ष के हस्ताक्षर आदि की आवश्यकता होगी, विक्रेतापक्ष बिना किसी एतराज के क्रेतापक्ष को अपना पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के लिये वचनबद्ध एवं बाध्य रहेंगे।

(10) यह कि, बिक्रीत सदर सम्पत्ति पर लगने वाला समस्त प्रकार का शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय कर तथा टेक्सेस एवं डायर्बंशन टेक्स तथा अन्य देय चार्ज या प्रभार जो भी कब्जा दिनांक तक का अवशेष रहेगा, उसको विक्रेतापक्ष अदा करने के लिये जवाबदार रहेंगे तथा आगे भविष्य में इन समस्त करों को अदा करने की सम्पूर्ण जवाबदारी क्रेतापक्ष की रहेगी।

(11) यह कि, इस विक्रय-पत्र के पंजीयन में लगने वाले चुकते खर्चें जैसे-स्टाम्प इयूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एवं अन्य विविध खर्चों का वहन क्रेतापक्ष ने किया है।

(12) यह कि, इस विक्रय पत्र में वर्णित समस्त शर्तों का पालन आप क्रेतापक्ष के द्वारा तथा आपके माध्यम से समय-समय पर स्वत्व ग्रहण करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जावेगा तथा इस हेतु वे वचनबद्ध हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
₹.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

-:- 10 :-

R 271477

उपरोक्तानुसार यह सम्पत्ति का विक्रय पत्र विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के हित व हक में, पढ़कर, सुनकर तथा समझकर बिना नशा पानी किये, दो साक्षियों की उपस्थिति में, आज नगर इन्दौर में अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित तथा सम्पादित कर दिया, सो सही । इति, इन्दौर, दिनांक : १३ जुलाई, 2012.

हस्ताक्षर साक्षीगण

हस्ताक्षर विक्रेतापक्ष

(1) ..... 

  
बंटी थावानी

नाम-विकास मूलचन्दनानी

पिता-श्री श्रीचन्द मूलचन्दनानी

निवासी-584-बी, खातीवाला टैक, इन्दौर

पिता श्री सिरुमल जी थावानी,  
निवासी-295, यु.आई.टी. कॉलोनी. गरबा  
ग्राउण्ड के पास, अजय नगर, अजमेर (राज.)

(2) ..... 

हस्ताक्षर क्रेतापक्ष

नाम-राहुल कुकरेजा


पिता-श्री श्याम कुमार कुकरेजा,

निवासी-64, सर्वोदय नगर, इन्दौर (म.प्र.)

  
मुकेश लीलानी

पिता स्व. श्री सोभराजमल जी लीलानी,  
निवासी-124, त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेन्शन,  
इन्दौर (म.प्र.)

उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त माहिती एवं निर्देशानुसार इस  
विक्रय पत्र का प्रारूप मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया है।

  
*Murtaza Arif, Advocate*

B-45, New Siyaganj, Mall Godown Road,  
INDORE, Mobile.98270-28152, 98264-28152

भारतीय ग्रेर म्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.20000

बीस हजार रुपये

भारत

TWENTY  
THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

791846

इस विक्रय-पत्र का संलग्न पुरवणी स्टाम्प

विक्रेतापक्ष : श्री बंटी थावानी पिता श्री सिर्लमल जी थावानी,  
निवासी-295, यु.आई.टी. कॉलोनी. गरबा ग्राउण्ड के पास,  
अजय नगर, अजमेर (राज.)

क्रेतापक्ष : श्री मुकेश लीलानी पिता स्व. श्री सोभराजमल जी लीलानी,  
निवासी- 124, त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेन्शन, इन्दौर (म.प्र.)

संलग्न मुद्रांक-पत्र  
उपर्युक्त कार्यालय  
तहसील-सांवेर (जिला-इन्दौर)

(7)

## न्यायालय एवं प्रभागीय अधिकारी सांचेर जिला इंदौर ग.प्र.

प्रकाशन नम्बर 32/31-2, 2011

१. श्री मोहनलाल, २. श्री पाण्डित, ३. श्री वसुष पिता की मौजिलालजी सांचेर,  
४. श्री गणेश ५. श्री वसुष पिता की मौजिलालजी सांचेर  
रामी निवारी याम यु. सहस्राल सांचेर,  
६. श्री गोपाल पिता यामराम खाटीयुरा इंदौर  
कल्लोपटी तुलशीयाना कलाजी कल्लोपटी दहो पाठनर,  
सुनिल पिता श्री राज भाटिया

पता 209 के को घासी किंड इंदौर(ग.प्र.)

विरुद्ध

आदेक

ग्राम प्रतेर: शासन

आ से शा

अन्वेदक

प्रारिद्ध दिनांक 21/02/2011

ग.प्र.भू. रव. 31 हिता 1959 की घार 172 के अन्तर्गत

आदेक द्वारा दाय कुमेही पटवारी उल्का नं. 38 तहसील रामीर रियत की  
गृही राई नं. 14/3, १४/१, ९६/२, ९८, ९९/१, ९९/२, ९९/३ रक्का छास: १५५,  
०७०८, १५९४, ०७१३, ०८८१, ०८८१, १५९५ कुल रक्का ७९३३ एवं इन गृही का कुल दिन  
आशय अर्थात् औद्योगिक शोजन हेतु ग्रामगृ-सज्जन राहित १९५९ की घार 172 के  
अन्तर्गत आदेक एवं न्यायालय के रामीर दिनांक २१/०२/२०११ की प्रक्रिया के अन्वेदन  
का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

१/ ग्राम कुमेही पटवारी उल्का नं. 38 तहसील रामीर दिनांक की गृही राई नं. 14/3  
९६/१, ९६/२, ९८, ९९/१, ९९/२, ९९/३ रक्का छास: १५५, ०७०८, १५९४, ०७१३,  
०८८६, ०८८१, १५९५ कुल रक्का ७९३३ ऐवतर अदिकारी के गृही वामीय पर अवितर है।  
एवं वर्तमान गैर रक्का मूल २ आदेक वामी दिनांक २१/०२/२०११ की ग्रामगृ-सज्जन  
१९५९ की घार 172 के लिए प्रक्रिया की गयी है।

२/ दूसरे न्यायालय के दिनांक २१/०२/२०११ की ग्रामगृ-सज्जन अदिकारी गृही प्रियतित  
अधीक्षक गृही प्रियतित दिनांक २१/०२/२०११ की ग्रामगृ-सज्जन दिनांक ११/१/११

के द्वारा प्रभारी आवासीय इंटीर विकास प्राधिकरण डंडोर रोड एवं पत्र कामा के 1/11 संवेदन दिन 6.1.2011 के द्वारा सरपाच ग्राम पंचायत कुमेझी से प्रश्नाएँ उत्पन्न होने के संबंध में निर्धारित किया अनुसार जांच कर प्रतिवेदन द्वाहा गया।

3/ न्यायालय विकास कर्तव्य अधिकारी भूमि निरीक्षण समिति द्वारा कामा के 131 दिनांक 2.2.2010 के द्वारा प्रश्नाधीन गृष्णि का रथल निरीक्षण कर बताया ग्राम पत्र कामा के अन्य ग्रामों पर विकास/ निरीक्षण कार्य नहीं बताया गया है क्योंकि यह एक समाजाविष्ट नहीं है। पर विकास/ निरीक्षण कार्य नहीं बताया गया है क्योंकि यह एक समाजाविष्ट नहीं है। आवेदित गृष्णि से वृक्ष नहीं है। यह उक्त गृष्णि रथल पर कामा एवं गड्ढे अन्तर्गत परतावित कर पुनः निर्धारण भूमि जारी रखने पर कामा विकास जाना प्रत्याविलिम्बणा है जो प्रकरण में संलग्न रखा गया।

4/ कार्यालय समाजाविलिम्बण कर्तव्य निरीक्षण समिति एस.पी. इंटीर दिनांक 6.1.2011 के द्वारा जांच करने के अन्तर्गत गृष्णि घर ओपोजिट एप्पयोग हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रत्याविलिम्बण करने के बारे में जिसमें बताया गया कि-

- 1- प्रश्नाधीन भूमि के निरोजन मापदण्ड ऐस प्रकार रहता है—  
अ- औधोगिक प्रथा हेतु  
अभिन्यास में राजी भूखण्डों पर विकास योजना की सारणी कामा के 6.09 एक 6.10 के प्रावधानों के होते हैं।
- ब- वेयर हाउस प्रथा हेतु—  
अ- ग्राउण्ड 40 प्रतिशत अधिकतम  
ब- एफ.ए.आई. 40 अधिकतम  
स- एफ.ओ.ए. 12.0 मीटर तथा अन्य तीनों और 9.0 मीटर/ 9.0 मीटर आवासीय प्रयोजन—  
३- ग्राउण्ड 20 प्रतिशत अधिकतम  
४- एफ.ए.आई. 75 अधिकतम  
५- एम और ए 9.0 मीटर तथा अन्य तीनों और 6.0 मीटर/ 6.0 मीटर  
६- गवन की अन्य उचाई 12.00 मीटर  
७- पार्किंग : एक एक रप्ति 100 वार्ग मीटर कुल निर्गत हेत्र की दर से

- 2/ निम्नलिखित अधिनियम/नियम/संकाय अधिकारीयों तथा सरथा से अनुज्ञा यदि आवश्यक हो तो लेना अनिवार्य होगा -
- म.प्र.भू-रेखा अंडिया 1959 की परा 172
  - म.प्र. पंचायत अधिनियम 1993
  - राष्ट्रीय बाग/राजमार्ग प्राधिकारी से अनुपत्ति यदि आवश्यक हो तो नियंत्रण ज बाई आवश्यक हो तो।
  - म.प्र. परामर्श राजसभा अधिनियम 1956 के प्राधिकारी के अनुपत्ति अन्य किसी विधान/अधिनियम के अंतर्गत कोई अनुपत्ति/अनुज्ञा नहीं दें। तो उस विधायक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 3/ जल-मल वर्षा के पानी की आकड़ा प्रायिक्रम में अन्तर्भुक्त हो जाए।
- 4/ प्रश्नाधीन वर्ष के सूर्य दिशा में प्रत्यावित 30.00 ग्रीदर मार्फ है, जिसे देने वाले से 15.0 ग्रीदर मार्फ विस्तार हेतु छोड़ी जाना आवश्यक होगा,
- 5/ यह अनुज्ञा वर्ष की कालावधी के लिये प्रवृत्त रहेगी।
- 6/ भवन का इंजीण नुकस्प अदरोधी ताकनिकी के अनुसार एवं निर्वाचित करने वाले अनुसार कर देगा। किसी भी प्रकार का डिजाइन फाल्ट अथवा रक्षाद्वय विपरित नियम वाली आवारण में संभावित हानि संवधी समन्वय जावेगा।
- 7/ अभिन्यास अन्तर्भुक्त आवारीय संघर्षोग के भूखण्ड पर औद्योगिक व्यापार के आवारीय रूप से वाले होंगी।
- 8/ भवन में उत्तरी दीने वाले अपशिष्ट(सालिड वेर्ट) के प्रबंध में गमनीय सर्वान्धाराय द्वारा दिये गये दिशा निर्देश का पालन करना होगा। तथा दोस्रा अवारीय को तीन तथा अन्य कचरा ऐटिपो में इवाहन करवाकर डिल्ट जावाबदारी उत्तरान की होगी।
- भवन में रेन वाले वाले वाले अवारेटा की परिया आवेदक होता अपने स्वार्य के साथ से जाना आवश्यक है। इस व्यावरण को नियमित अंतराल पर नियन्त्रित किया जा सकेगा।

- 10/ भरत में ग्राम परिवार की सहित लैंगिक की समस्या के अनुभवों के किया जाना एवं शेष अनुरूपी आवेदक को दधुयेत्र व अन्य सम्बन्धों होगी।
- 11/ म.प्र. ग्राम व्यापार (कालोनाइज़ रिटॉर्स) जल निपटने वाले एवं विभिन्न प्रचलित विद्यों/अधिनियमों के अन्वेषण वांडे अनुज्ञा/अनुदान आवश्यक विधों वह रथल पर विकास/निर्माण के पूर्व आवेदक का प्राप्त होगा।
- 12/ स्वरथ्य पर जल की क्षमिता से खुले होते गे वृक्षारबद्ध क्षेत्रों में जल की जैसे जल-विद्युत, डेमेज आदि का विकास अत्यन्त आवश्यक विधों वह रथल पर आवेदक को दधन करना होगा।
- 13/ निर्भित विधों वाले वाले गवानों को शहरी जल प्रदाय विधानी रेन वाटर हावान की प्रविधियाँ दी जानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ण पर जल विभुति अनुभव संबंधित संस्कारों की दृष्टि किया जा सकेगा।
- 14/ रथल पर आवास अनुसोदन संबंधी जनकारी 1.50 भीटर वाले 1.20 भीटर बोर्ड पर आवास कर रथापित करना अनिवार्य होगा।
- 15/ अनुभोदित मुद्रों की एक सत्यागित प्रति भाव उद्देश के स्थल पर 1.50 वाले दोरान रथल का विकास करना।
- 16/ विकास योजना 2021 के निर्दिष्ट प्राविधिन एवं मप्र भूमि विकास विभाग नियम 50 एकड़ी प्रदायनों का पालन सुनिश्चित किया जाते।
- 17/ यह अनुज्ञा विकास की अनुज्ञा है जिसे रथल पर ग्राम परिवार कार्यालयीन विकास की संपरिश्वति में सत्यागत के पश्चात ही इस वर्ष भू-व्यपर्वतन की अनुगति भवन निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। अतिरिक्त इस विभाग के आधार पर उत्तर इस सत्यागित विकास/निर्माण कार्य प्रचार प्रसार। इस विभाग की विभिन्न दिए जाएंगी।
- 18/ इसे भूस्वामित विभाग द्वारा समझा जाता।
- 19/ मार्ग विस्तार विभाग अनेकों नुमा की कला विना फुआंखजा दिए जाने का प्रयोग/उपयोग विभाग के विभिन्न विभागों में सर्वानुभव आवश्यक विभाग की कियान्वयन संस्कारों का अनुभव विभाग विभिन्न आवेदक का ग्राम नुमा।

नियम 61 के नियम 61 फुट नोट (1) अनुसार अतिरिक्त एफएआर होगी।

- 20/ प्रश्नाधीन पर विकरित होने वाले गूँड़ों/भगव के विकार के इश्तदृश संवर्धन में नगर तथा ग्राम निवेश स्थानीय निकारों, डाकघरों, अनापा और गोलण लेण्ड सिलिंग से "छूट" पर प्रदूषण निवारण गण्डलों से अवश्यक सम्बन्ध रखता के कामोंके एवं दिवांकों की संस्कृता करना आवश्यक है।
- 21/ इस प्रांत के लालपुर की अनुमेदित अधिनियम वा राज्य वर्ष स्थानीय तथा इस विवाह की उपस्थिति में अधिनियम अनुग्रहन की दिशाके से एक के में करने अनिवार्य होगा जो कि अंतिम अनुज्ञा देगी। उसके पश्चात वे दिवार एवं निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुमेदित अधिनियम के रथल वा स्थानीय विवाह हेतु आवेदन वा उपाने स्वाक्षित्व की भूमि की जाएगी। प्रत्यावर्ती कार्य के भूखण्ड पर पत्थर एवं चूने के गाँधीजस से स्पष्ट करते हुए अनुसार रथल पर प्रत्येक गूँड़, मां, खुले, छोड़े, सुनिश्चित वा हेतु आवेदन की भूमि गूँड़ों की भाप अनुसार अधिनियम तंत्रारोग का प्रस्तुत कर देगा। इस प्रकार तंत्रार किसे गंधे अनिवार्य का रोपन किया जाएगा। अधिनियम वा इस कार्यालय के द्वारा रथल वा स्थानीय विवाह वा अभिन्यास विवाह किया जाएगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपस्थिति वा इस कार्यालय के द्वारा रथल वा स्थानीय विवाह वा अभिन्यास विवाह के प्रयोजन की भूमि पर ही विकास कार्य प्रत्यावर्ती किया जाएगा। अपस्थिति वा इस कार्यालय की भूमि पर ही विकास कार्य प्रत्यावर्ती किया जाएगा। यह अनुज्ञा वाली अरिहंत विहिन हो जाएगी वा अनापत्ति (रिहाई) हो जाएगी।
- 22/ किसी भी विवाह के भूस्वाभित्व अथवा रीगा संबंधी विवाद होने पर या वा जानकारी के द्वारा पाए जाने पर या उगत अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने यह अनुज्ञा कार्यवाही की भूमि पर ही विकास कार्य प्रत्यावर्ती वाली अरिहंत विहिन हो जाएगी वा अनापत्ति (रिहाई) हो जाएगी।
- 5/ आवेदक वा उपर्युक्त विवाह कार्यक्रम 383 इदार दिनांक 11.1.2011 प्रस्तुत सत्यापित किया जाएगा। अपार्टमेंट भूमि आवेदक के दूषितात्त्व रखता हो एवं विवाह के प्रस्तुत दस्तावेज विवाह की सही है। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का ही वाप्ता होगा। प्रश्नाधीन भूमि के विकारी की वाप्ता विवाह में विकार अनुसार जा लाने विवाह के

प्रकरण लांगड़ी गढ़ी है व प्रश्नाधीन गूमि के संबंध में दायर्शन संदर्भ जो होगा आवेदन द्वारा रवीकार किया है।

- 6/ इस्टौर नियम संघीकरण इटौर के द्वारा पत्र क्रमांक 7275, 7276, 7577 दिनांक 02/03/1959 के द्वारा प्रश्नाधीन गूमि के व्यापकतये किये जाने के रास्ते में दायर्शन प्रमाण पत्र में दिया गया।
- 7/ आप एवं दायर्शन के द्वारा एक विवरण के द्वारा गूमि के व्यापकतये किये जाने के संबंध में अनुचान्ति प्राप्ति पत्र वश किया गया।
- 8/ शासन की व्यापक व्यापकतये की दृष्टि से उक्त गूमि पर इन नियमरण भू-राजसन वृद्धि हो रही शासनहित में भी उक्त भूमि पर पुनर्निर्धारण, एवं औद्योगिक प्रयोजन किया जाना सुनिश्चित होता है।

प्रश्नाधीन गूमि के विवरण को दृष्टिगत रखते हुए में इस नियम के अनुचान्ति की धारा 172(1) के अन्तर्गत प्राप्त कुमोड़ी रिश्तत कृषि भूमि के द्वारा 14/3, 98/1, 99/1, 99/2, 99/3, 1.595 कुल रक्त अध्यात 853908 वर्गफैट का औद्योगिक प्रयोजन किया जाता है।

1- म.प्र.भू-राजसन की धारा 1959 वर्षीय धारा 172 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन गूमि रक्त 14/3, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, कुल रक्त 1933 अध्यात 853908 वर्गफैट औद्योगिक प्रयोजन की ही रहेगा।

ग.प्र.भू-राजसन संकेता की धारा 59 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन सर्व नं. 14/3, 96/2, 96/3, 97/1, 99/2, 99/3, कुल रक्त 1933 अध्यात 853908 वर्गफैट का औद्योगिक प्रयोजन किया जाता है। इन दोनों रक्त पर पुनर्निर्धारण भू-राजसन 10/1- प्राप्ति 10/1- अध्यात्री रूपानि तीन लाख रुपये के राशि से अधिक प्रतिवर्ष वर्तमान से निर्धारित किया जाता है।

प.प्र.भू-राजसन की धारा 59(5) के अन्तर्गत 79359 वर्गफैट वर्ष 15/1- रूपये प्रति वर्ष 15/1- के मात्र से रूपये 1190392/-अधिकी रूपये प्राप्त राशि लाभ होना विभाग द्वारा आवेदन गरियामा अरिंपिता विलम्ब जाता है।

प्राप्ति वर्ष 15/1- के राजसन वर्ष 50 वर्गफैट रक्त 10/1- 15/1- अधिकी रूपये 15/1- रात रो तीन वार प्रतिवर्ष प्राप्ति वर्ष 15/1- के अनुचान्ति।

- 5- इस से रोड की निर्धारित चौड़ाई छोड़कर ही निर्माण कार्य करने से कोई सार्वजनिक उत्तराधि नहीं होगा।
- 6- अद्यतन गूप्ति पर निर्माण कार्य करने से कोई सार्वजनिक उत्तराधि नहीं होगा।
- 7- गूप्ति पर वृक्षारोपण वरमान आवश्यक नहीं होगा।
- 8- रुक्षारोपण कार्यक्रम लागत ग्राम निवास की अनुमति में ही नहीं होगा।
- 9- इस करना होगा।
- 10- इसकी रानरत विधि एवं शिखरों का पालन करना होगा।
- 11- इसके करने के प्राप्त प्रधान विधि रुक्षारोपण रखाकृत करनाकर अनुमति दी जाएगी।

उत्तराधिकार निर्धारित राशि आदेश दिनांक के बाद रानरत होने वाली होगा एवं शर्तों का पालन। आवेदक को करना अनिवार्य होगा। इस आदेश आज दिनांक 21/02/2011 को भरे हरसाहर द्वारा जमा करना।

प्रक. / ८३  
प्रतिलिपि:-

11

आवेद. दिनांक 21/02/2011

- (1) संयुक्त नगर तथा ग्राम नियम इन्हीं को और सुनाई देने वाली वारिवर्तीत इन्दौर की ओर धी-1 में इन्द्राज हटु।
- (2) अधीक्षा नियम वाली वारिवर्तीत इन्दौर की ओर धी-1 में इन्द्राज हटु।
- (3) तहसील वाली वारिवर्तीत इन्दौर की ओर आवाषक कार्यपाली हटु।
- (4) पटवारी नियम 38 ग्राम युग्मी तहरील रानीर की ओर सूचनाथ।
- (5) सुलसीर नियम वाली डेलोपमेंट टार्फ पाटवारी सुनिश्चित नियम द्वारा आकृष्ट इन्दौर(ए.ए.) को ओर सूचनाथ दूर करना।

१४

कार्यालय संचयक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय इन्दौर, म.प्र.

संख्या / ३५ | १०/ नवग्रन्थि / 2010

इन्दौर, दिनांक :

6/1/2011

१. श्री मोहनलाल पिता श्री गोपीलाल खाती
  २. श्री श्यामलाल पिता श्री गोपीलाल खाती
  ३. श्री गणेश पिता श्री गोपीलाल जी खाती
  ४. श्री रामरामरुप पिता श्री गोपीलाल जी खाती
- पता : ग्राम कुमेडी तहसील सांवेर जिला इन्दौर
- डेव्हलपर्स : तुलसीयाना एण्ड बालाजी डेव्हलपर्स तर्फ पार्टनर
- श्री सुनील भाटिया पिता श्री राजकुमार भाटिया  
श्री सुनील भाटिया पिता श्री राजकुमार भाटिया
- पता : २०९ के.के. बाफना आर्कड, इन्दौर (म.प्र.)

विषय : ग्राम कुमेडी तहसील सांवेर जिला इन्दौर की भूमि खसरा क्रमांक 14/3, 96/1, 96/2, 98, 99/1, 99/2 एवं 99/3 कुल रकबा 7.933 हेक्टर भूमि पर औद्योगिक हेतु स्थल अनुमोदन बाबद।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त दिनांक

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदक १. श्री मोहनलाल पिता श्री गोपीलाल खाती २. श्री श्यामलाल पिता श्री गोपीलाल खाती ३. श्री गणेश पिता श्री गोपीलाल जी खाती ४. श्री रामरामरुप पिता श्री गोपीलाल जी खाती पता : ग्राम कुमेडी तहसील सांवेर जिला इन्दौर, डेव्हलपर्स : तुलसीयाना एण्ड बालाजी डेव्हलपर्स तर्फ पार्टनर श्री सुनील भाटिया पिता श्री सुनील कुमार भाटिया पता : २०९ के.के. बाफना आर्कड, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम कुमेडी तहसील सांवेर जिला इन्दौर की भूमि खसरा क्रमांक 14/3, 96/1, 96/2, 98, 99/1, 99/2 एवं 99/3 कुल रकबा 7.933 हेक्टर भूमि पर औद्योगिक हेतु स्थल अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं :-

१. निर्धारित प्रारूप में आवेदन।
२. प्रोसेसिंग फीस चालान नम्बर ८/४९ दिनांक ०६-०९-२०१० द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में राशि रुपये 1,35,000/- जमा।
३. प्रटवारी ट्रेस नवशा, मूल प्रति
४. राशनग्राम बी-१/पी-२ वर्ष २००९-१० मूल प्रति
५. शपथ पत्र क्रमांक २६७५४ दिनांक २७.८.२०१०
६. रुपांकन मानचित्र

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर सहायक मानचित्रकार द्वारा भू-स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें स्थल रिक्त होना पाया गया है। प्रश्नाधीन भूमि को, पूर्व दिशा में काकड़ पर प्रस्तावित 30.00 मीटर चौड़े मार्ग से पहुँच प्राप्त है। विकास योजना 2021 अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का भूमि उपयोग औद्योगिक निर्दिष्ट है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यथा वर्णित एवं प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर परीक्षण किया गया। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम कुमेडी तहसील सांवेर जिला इन्दौर की भूमि खसरा क्रमांक 14/3, 96/1, 96/2, 98, 99/1, 99/2 एवं 99/3 कुल रकबा 7.933 हेक्टर भूमि पर औद्योगिक प्रयोजन अंतर्गत संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) एवं 2 (5) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अनुज्ञा प्रदान की जाती हैं :-

प्रश्नाधीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड इस प्रकार रहेगे : -

औद्योगिक प्रयोजन हेतु :

अभिन्यास में दर्शित सभी भूखण्डों पर विकास योजना की सारणी क्रमांक 6.09 एवं 6.10 के प्रावधान लागू होंगे ।

वेयर हाउस प्रयोजन हेतु :-

अ- ग्राउण्ड कवरेज 40 प्रतिशत अधिकतम

ब- एफ.ए.आर. 1:0.40 अधिकतम

स- एम.ओ.एस., सामने 12.0 मीटर तथा अन्य तीनों और 9.0 मीटर / 9.0 मीटर

आवासीय प्रयोजन हेतु :-

अ- ग्राउण्ड कवरेज 30 प्रतिशत अधिकतम

ब- एफ.ए.आर. 1:0.75 अधिकतम

स- एम.ओ.एस., सामने 9.0 मीटर तथा अन्य तीनों और 6.0 मीटर / 6.0 मीटर

द- भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.00 मीटर

ड- पार्किंग: एक कार पार्किंग रेपेस प्रति 100 वर्गमीटर कुल निर्मित क्षेत्र की दर से ।

2. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा यदि आवश्यक हो तो लेना अनिवार्य होगा:-

अ. म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172

ब. म.प्र. पंचायती राज अधिनियम—1993

स. राष्ट्रीय शाजमार्ग/राजमार्ग प्राधिकारी से अनापत्ति यदि आवश्यक हो तो ।

द. म.प्र. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम—1956 के प्रावधानों के अंतर्गत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल यदि आवश्यक हो तो ।

इ. अन्य किसी नियमों/ अधिनियमों के अंतर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।

3. जल—मल एवं वर्षा के पानी की अंकन मानचित्र में करते हुए उसका अनुमोदन ग्राम पंचायत कुमेड़ी से प्राप्त किया जावे ।

4. प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में प्रस्तावित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग है, जिस हेतु मार्ग मध्य से 15.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी जाना आवश्यक होगा ।

5. यह अनुज्ञा 3 वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी ।

6. भवन निर्माण भूकम्प अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा । किसी भी प्रकार का डिजाइन फाल्ट अथवा स्वीकृति के विपरीत निर्माण की अव्यवस्था में संभावित हानि संबंधी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी ।

7. अभिन्यास अंतर्गत आवासीय उपयोग के भूखण्ड पर औद्योगिक कर्मियों के लिए ही आवासीय सुविधा मान्य होगी ।

A

Sanje

- मन्त्री भवन में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) के प्रबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन ब्रह्मा-अलग कचरा ऐडिथों में इकट्ठा करवा कर डिस्पोजल की जयायदारी आवेदक की जाएगी।
8. भवन में रेन वाटर हार्डिंग की प्रक्रिया आवेदक द्वारा अपने स्वयं के खर्च से की जाना आवश्यक होगा। इस व्यवस्था की नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
9. भवन में जल प्रदाय ग्राम पंचायत की पाईप लाईन की क्षमता अनुसार प्रदान किया जावेगा।
10. एवं शेष आपूर्ति आवेदक को ट्यूबवेल व अन्य स्रोत से करना होगा।
11. म.प्र. ग्राम पंचायत (कालीनाईजर रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1999 एवं प्रवलित स्थल पर विकास/निर्माण के पूर्व आवेदक को प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे करना होगा।
12. निर्मित किये जाने वाले भवनों शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्डिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल, विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 मीटर बाय 1.20 मीटर साईज के बोर्ड पर अंकित कर स्थापित करना अनिवार्य होगा।
13. अनुमोदित मानचित्र की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
14. विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट प्रावधान एवं भूमि विकास अधिनियम 1984 के नियम 50 ख, के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
15. यह अनुज्ञा प्रारंभिक स्वरूप की अनुज्ञा है जिसे स्थल पर ग्राम पटवारी एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थिति में सत्यापन के पश्चात ही इस आधार पर भु-व्यपर्वतन, विकास की अनुमति, भवन निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इस अनुज्ञा के आधार पर न तो ही प्रस्तावित विकास/निर्माण कार्य का प्रचार-प्रसार विक्य प्रयोजन की दृष्टि से किया जा सकेगा।
16. इसे भू-स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
17. मार्ग विस्तार अन्तर्गत आने वाली भूमि का कब्जा बिना मुआवजों के इन्दौर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/कलेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की कियान्वयन संस्था को सौंपना होगा जिसके विरुद्ध आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 61 फुट नोट-(1) अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की पात्रता होगी।
18. प्रस्तावित भूमि पर विकसित होने वाले भूखण्डों/भवन के विक्य के संबंधी इश्तहार प्रकाशन में नगर तथा ग्राम निवेश, स्थानीय निकायों, डायवर्शन, नजुल अनापत्ति, अरबन लेण्ड सिलिंग से छुट, म.प्र. प्रदुषण निवारण मण्डलों से अनापत्ति संबंधी आदेशों के कमांक एवं दिनांको का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

R.

Sarla

11411

इस प्रारम्भिक स्वरूप की अनुमोदित अभिन्यास का रथल पर सत्यापन ग्राम पटवारी तथा इस कार्यालय की उपस्थिति में अभिन्यास अनुमोदित की दिनांक से एक माह में करना अनिवार्य होगा, जो कि अंतिम अनुज्ञा होगी, उसके पश्चात ही किसी भी प्रकार के विकास एवं निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुमोदित अभिन्यास के स्थल पर सत्यापन हेतु आवेदक को स्वामित्व की भूमि की सीमाएं एवं प्रस्तावित विकास कार्यों के स्थल पर पत्थर एवं चुने के माध्यम से स्पष्ट अंकित करते हुए, तदानुसार स्थल पर प्रत्येक भूखण्ड, मार्ग, खुले क्षेत्रों, सुविधाओं, सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि/भूखण्डों की माप अनुसार अभिन्यास तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार तैयार किये मानचित्र का ग्राम पटवारी की उपस्थिति में इस कार्यालय के द्वारा स्थल पर सत्यापन किया जाकर, अंतिम अभिन्यास भूमि पर ही विकास कार्य प्रस्तावित किया जा सके कि आपके द्वारा स्वामित्व की भूखण्डों की माप/आकार क्षेत्रफल आदि स्पष्ट से हो।

22. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा स्वभै अस्तित्व विहिन हो जावेगी या अनापत्ति प्रति संहित (रिक्वोक) कर दी जावेगी।

संलग्न :- एक मानचित्र।

पृ. क्रमांक :

/जि.का./ नग्नानि / एस.पी./

/ 10

*Signature*  
संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तंहसील सांवेर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस प्रारम्भिक अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, कुमैड़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदुषण निवारण मंडल बोर्ड इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयन कार्यालय, इन्दौर
5. वेबसार्फेट कॉर्पो

संलग्न :- समस्त के साथ एक अनुमोदित मानचित्र

— ३ —  
संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
इन्दौर (म.प्र.)

# NITIN UPADHYAY

&  
ASSOCIATES



Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)  
Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

- Architect and Engineer
  - Structural Engineers
  - Chartered Engineer
  - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

## Valuation Report

Date 02/01/2021

<b>NAME OF BANK</b>	State Bank Of India, State Bank Of India, State Bank Of India, Industrial Finance Branch , Y. N. Road , Indore (MP)
<b>PROPERTY</b>	It's a Industrial Open Plot
<b>LOCATION AT</b>	Plot No. -01 Paki , South west Part at Balaji Tulsiyan Industrial Estate , Village Kumdi , Tehsil sanwer , District Indore (MP)
<b>OWNER NAME</b>	Owner:-Mr. Mukesh Leelani s/o Mr. Shobhraj Leelani
<b>FARE MARKET VALUE -Rs</b>	<b>10500000.00</b>
<b>GUIDELINE VALUE -Rs.</b>	<b>2450000.00</b>
<b>REALIZABLE SALE VALUE -Rs.</b>	<b>9450000.00</b>
<b>DISTRESS SALE VALUE -Rs.</b>	<b>8400000.00</b>

### NAME & ADDRESS OF VALUATION AGENCY

NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES

S.F.204, Parshvnath Avenue Chikitsak Nagar , Indore (M.P.),  
9425091283 ,9179146414

Mobile -

# N UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
  - Structural Engineers
  - Chartered Engineer
  - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)

Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com


Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

## VALUATION REPORT (IN RESPECT OF LAND / SITE & BUILDING)

To,  
**The Chief Manager,**  
**State Bank Of India, Industrial Finance Branch**

**Y. N. Road , Indore (MP)**

<b>I. GENERAL:</b>	
1	Purpose for which the valuation is made
	To Assess Market Value , Value As Per Government Guidelines and Distress Of Forced Sale Value Of The Property For Bank Security Purpose For State Bank Of India.
2	(a) Date of Inspection
	02/01/2021
	(b) Date on which the valuation is made
	02/01/2021
3	List Of documents produced for perusal
	Registry and approved map
4	Name of the legal owner (s) & address with Phone No. (Details of shares of each owner in case of joint ownership)
	Owner:-Mr. Mukesh Leelani s/o Mr. Shobhraj Leelani
	<b>(Single Ownership)</b>
5	Brief description of the property/asset
	It's a Industrial Open Plot
6	Location of the property/asset
	Plot No. -01 Paki , South west Part at Balaji Tulsian Industrial Estate , Village Kumdi , Tehsil sanwer , District Indore (MP)
a)	Plot No. /Survey No.
	Plot No. -01
b)	Door No.
	NA
c)	T.S. No. / Village
	Kumdi
d)	Ward / Taluka
	Kumdi
e)	Mandal / District
	Indore
	Postal Address of the property/asset
	Same as above
	City / Town
	Indore
i)	Residential Area
	No
ii)	Commercial Area
	No
iii)	Industrial Area
	Yes
	Classification of Area
i)	High/ Middle/ Poor
	High Class
ii)	Urban/ Semi Urban/ Rural
	Urban
	Coming under Corporation limit/village Panchayat/Municipality
	Municipal Corporation Limit



# JPADHYAY

&

## SOCIATES




- Architect and Engineer
  - Structural Engineers
  - Chartered Engineer
  - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)  
217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com  
Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

Covered under any State/Central Govt. Act (e.g. Urban land ceiling Act) or notified agency area/ Scheduled area/cantonment		No
Is it an agriculture land, any Conversion to house /site plots is contemplated/approved		NO
<b>Boundaries of the property :</b>		
As Per Deed:-		
East	Part of Plot No. -01 ( Plot No. - 1 A )	
West	Colony Road	
North	Part of Plot No. -01 ( Plot No. - 1 C )	
South	Colony Road	
As Per Actual on Site:-		
East	Part of Plot No. -01 ( Plot No. - 1 A )	
West	Colony Road	
North	Part of Plot No. -01 ( Plot No. - 1 C )	
South	Colony Road	
<b>14 Dimension of Property</b>	<b>As per Deed-Mt</b>	<b>As per Actual -Mt</b>
North		
South		
East		
West		
<b>15 Extent of the site</b>	<b>Office Area sq-ft</b>	<b>5000.00</b>
<b>16 Extent of the site considered for valuation ( Least of 14a &amp; 14b )</b>	<b>Plot Area Sq-m</b>	<b>464.68</b>
<b>17 Whether occupied by the owner/ tenant. If Occupied by the tenant since how long ? Rent received per month</b>	Vacant Plot	
<b>II. CHARACTERISTICS OF THE SITE :</b>		
<b>1 Classification of Locality</b>	Industrial Area	
<b>2 Development of surrounding areas</b>	Good	
<b>3 Possibility of frequent flooding</b>	NO	
<b>4 Feasibility to to the civic amnities like school , Hospital , Bus stop , Market etc.</b>	All available in 500 m Radius.	
<b>5 Level of land with topographical conditions</b>	Levelled	
<b>6 Shape of land</b>	Regular in Shape	
<b>7 Type of use wchich it can be put</b>	Industrial	
<b>8 Any usage restriction</b>	industrial	
<b>9 Is plot in Town planning approved layout ?</b>	Yes	
<b>10 Corner plot or intermittent plot</b>	Corner Plot	
<b>11 Road facilities</b>	Available	
<b>12 Type of road available at present</b>	CC Road	



# IN UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
  - Structural Engineers
  - Chartered Engineer
  - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)

Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

13	Width of road is it below 20' or more than 20'	More than 20'
14	Is it a Land - Locked Land	No
15	Water potential	Good
16	Underground sewerage system	NA
17	Power supply availability in the site	Yes Available
18	Advantages of the site	Property is situated Near main Road _ MR-10
1		
2		
19	General remarks if any like threat of acquisition of land for public service purpose , road widening or applicability of CRZ provisions etc	Location of Property is Good No
1		
2		
<b>Part - A ( Valuation of Land )</b>		
1	Size Of Plot North & South	5000.00 sq-ft
	East & West	
2	Total Extent of Plot	5000.00
3	Prevailing market rate- Rs.	Rs. 2100/-2200/- Take Rs. 2100/- per sq-ft /sqm
4	Guideline rate obtained from the Collector's / Register's office  Guideline rate obtained from the Collector's / Register's office (an evidence there of to be enclosed)-	As on date Mkt. Rate for per Unit area of land fetching more/less than the Govt. Enclosed  Plot Area      5000.00      Rate      490.00      2450000 Construction GF      Rate      Total      2450000.00 Say Rs.      2450000.00
5	Assessed/ adopted rate of valuation –Rs.	2100.00 /sqm
6	Estimated value of land – Rs.	10500000.00

## PART – B ( Valuation of Building) –

1	Technical details Of building	Open Plot
a	Type of Building (Residential/ Commercial/Industrial)	NA
b	Type of construction (Load –Bearing/RCC/Steel framed)	NA
c	Year of construction	NA

# ER UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
  - Structural Engineers
  - Chartered Engineer
  - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)

Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

d	Future Life	NA
e	No. of floors & height of each Floor including basement If any.	NA
f	Plinth Area of the building	NA
g	Plinth Area Floor-Wise	NA
	* As per Approved Map B/Up	NA
f	Condition of the building	
	i) Exterior- Excellent, Good , Normal Poor	NA
	ii) Interior - Excellent, Good , Normal Poor	NA
g	Date of issue And Vlidity of Layout of Approved Man/Plan	NA
h	Approved Map/Plan issuing authority	NA
i	Whether genuiness or authenticity of Approved Map/Plan is Verified	NA
j	Any Other Comments by Our Empanelled Valuer on authentic of approved plan	Location of property is good

## SPECIFICATION OF CONSTRUCTION (FLOOR WISE ) IN RESPECT OF

S.	Description	Open Plot
1	Foundation	NA
2	Super Structure	NA
3	Basement	NA
4	Joinery/Doors Windows (please Furnish details About size of Frames, shutters Glazing, fitting Etc & specify the Specials of the Timbers)	NA
5	RCC Work	NA
6	Plastering	NA
7	Flooring, Skirting, dadoing	NA
8	Special finish such as marble, Granite, wooden	NA
9	Roofing i/c Weather proof Course	NA
10	Drainage	NA
2	<b>COMPOUND WALL:</b>	Yes
	Height	2.00m
	Length	Whole plot covered
	Type of construction	Brick wall
	Condition	Good
3	<b>ELECTRICAL INSTALATIONS</b>	
	Type of wiring	NA
	Class of fittings (superior/ordinary/poor)	NA

# N UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
  - Structural Engineers
  - Chartered Engineer
  - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)

Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

No. of light points	NA
Fan points spare plug	NA
Points any other items	-
<b>4 PLUMBING INSTALLATIONS</b>	
a) No. of water closets and their type	NA
b) No. of wash basins	NA
c) No. of Urinals	NA
d) No. of Bath Tubs	NA
e) Water meter Taps etc	NA
f) Any other Fixtures	NA

## Valuation Of Building

S. N o.	Particulars of Items	Plinth Area in Sq-m	Roof Height of Building in Meter	Estimated Replacement cost / sq-m Construction	Repalcement Cost	Depriication - 0% as Incomplete	Net Value After Depriication
1							
2							
<b>TOTAL- Rs.</b>							

<b>PART C ( Extra items)</b>	
01. Portico	Nill
02. Ornamental	Nill
03. Sit out/ Veranda with Steel grills	Nill
04. Overhead water tank (1 KL Cap. Syntax)	Nill
05. Underground tank	Nill
06. Extra steel/ collapsible gates/MS R Shutter	Nill
<b>TOTAL-Rs.</b>	<b>0.00</b>
<b>PART D (amenities)</b>	
01. Wardrobes	Nill
02. Glazed tiles	Nill
03. Extra sink & bath tub	Nill
04. Marble / ceramic tiles flooring (Varanda	Nill
05. Interior decorations/Modular Kitchen	Nill
06. Architectural elevation works	Nill
07. Panelling works	Nill
08. Aluminium works	Nill
09. Aluminium hand rails	Nill
10. False ceiling	Nill
<b>TOTAL-Rs.</b>	<b>0.00</b>
<b>PART E (Miscellaneous )</b>	
1. Separate toilet Room on GF/FF&SF	Nill

# NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
  - Structural Engineers
  - Chartered Engineer
  - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)  
Main Office : - S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

1. Separate lumber Room	Nill
1. Separate water tank /sump	Nill
<b>TOTAL-Rs.</b>	<b>0.00</b>
<b>PART F (Services)</b>	
01. Water supply Arrangements	Nill
02. Drainage arrangements	Nill
03. Compound wall & Site Development	Nill
04. C.B. deposits, fittings etc	Nill
05. Pavement in MOS/Tower &Parapet Wall	Nill
<b>TOTAL-Rs.</b>	<b>0.00</b>

## TOTAL ABSTRACT OF THE ENTIRE PROPERTY

<b>PART A</b>	<b>LAND</b>	<b>10500000.00</b>
Part B	BUILDING	0.00
Part C	EXTRA ITEM	0.00
Part D	AMENITIES	0.00
Part E	MISLLANEOUS	0.00
Part F	SERVICES	0.00
	<b>TOTAL Rs.</b>	<b>10500000.00</b>
	<b>Say Rs.</b>	<b>10500000.00</b>

**Valuation:** Here the approved valuer should discuss in detail his approach to valuation of property and indicate

**Photograph of owner/representative with property in background to be enclosed.**


**Screen shot of longitude/latitude and co-ordinates of property using GPS/Various Apps/Internet sites**

**As a result of my appraisal and analysis it is my considered opinion that the present market value of the above property in the prevelling condition with afford said specifications is**

Rs.	10500000.00	(Rs. One Crore Five Lakh Only )
The Guidline value is Rs.	2450000.00	(Rs. Twenty Four Lakh Fifty Thousand Only)
The Relisable Value is Rs.	9450000.00	(Rs. Ninety Four Lakh Fifty Thousand Only )
The Distress Sale Value is Rs.	8400000.00	(Rs. Eighty Four Lakh Only)

Date	02/01/2021
Place	Indore (MP)
Reg. No.	CAT – I / V –148 ,2006

FOR NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES  
ARCHITECT ENGINEER VALUER



# N UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
  - Structural Engineers
  - Chartered Engineer
  - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)

Main Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

The undersigned has inspected the property detailed in the valuation report Dated  
on  
I Have gone Through the Report & am satisfied that the fair & reasonable market

Date 02/01/2021

Signature

(Name of the Branch Manager with Official seal)

Date: Encl:

## DECLARATION FROM VALUERS

I here by declare that-

- The Information furnished in my valuation report dated 2-01-2021 is true and correct to the best of my knowledge and belief and I have made an impartial and true valuation of the property
- I have no direct or indirect interest in property valued
- I have personally inspected the property on Dated 02/01/2021
- I Have not been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment

Date 02/01/2021  
Place Indore (MP)

Reg. No. CAT - I/V -148 ,2006

FOR NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES  
ARCHITECT ENGINEER VALUER



# N UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
- Structural Engineers
- Chartered Engineer
- Govt. Approved Valuers

(Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikiteak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)



Main Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091203

## KEY PLAN

Plot No. -01 Paki , South west Part at Balaji Tulsiyan Industrial Estate , Village Kumdi , Tehsil sanwer , District Indore (MP)



# N UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer

- Structural Engineers

- Chartered Engineer

- Govt. Approved Valuers

(Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Office: Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,  
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)

e-mail : er\_upadhyay@rediffmail.com  
Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

## Photographs

Plot No. -01 Paki , South west Part at Balaji Tulsyan Industrial Estate , Village Kumdi ,  
Tehsil sanwer , District Indore (MP)

Owner:-Mr. Mukesh Leelani s/o Mr. Shobhraj Leelani

B/Tc



S.No	Mohalla/ Colony/ Society/Road/Village	PLOT (SQM)			BUILDING RESIDENTIAL (SQM)				BUILDING COMMERCIAL (SQM)			BUILDING MULTI (SQM)					
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	RBC	Tin shade	Kaccha kabelu	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	Irrigated	Un Irrigated		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4046	ATLANTIC INDUSTRIAL PARK	5200	5200	5200	17200	12400	10800	9200	18800	18400	18000	15200	30400	52000000	52000000	5200	5200
4047	BALAJI TULSIYAAN (100 FEET ROAD PAR) (KUMEDI)	5600	5600	5600	17600	12800	11200	9600	19200	18800	18400	16000	32000	56000000	56000000	5600	5600
4048	BALAJI TULSIYAAN (KUMEDI)	4800	4800	4800	16800	12000	10400	8800	18400	18000	17600	15200	30400	48000000	48000000	4800	4800
4049	KUNEDI ROAD PAR	5800	5800	5800	17800	13000	11400	9800	19400	19000	18600	16000	32000	22560000	22560000	5800	5800
4050	KUMEDI ROAD SE ANDAR	4600	4600	4600	16600	11800	10200	8600	18200	17800	17400	15200	30400	18560000	18560000	4600	4600
4051	LORD ADINATH RESIDENCY (KUMEDI)	10400	12800	10400	22400	17600	16000	14400	26400	26000	25600	15200	30400	104000000	104000000	10400	12800
4052	SCHEME 169 A (KUMEDI)	14400	21600	14400	26400	21600	20000	18400	35200	34800	34400	15200	30400	144000000	144000000	14400	21600
4053	SCHEME NO. 139, MUKHYA MARG SE ANDAR (KUMEDI)	14400	21600	14400	26400	21600	20000	18400	35200	34800	34400	15200	30400	144000000	144000000	14400	21600
4054	SCHEME NO. 139, MUKHYA MARG SE LAGA HUA (KUMEDI)	17600	26400	17600	29600	24800	23200	21600	40000	39600	39200	16000	32000	176000000	176000000	17600	26400
4055	SHREE RAM ENCLAVE (KUMEDI)	16800	16800	16800	28800	24000	22400	20800	30400	30000	29600	17600	35200	168000000	168000000	16800	16800

Tehsil: SAWER Sub-Area : NAGAR NIGAM INDORE, Ward/Patwari Halka: WARD NO. 19 (VISHWAKARMA)